न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2015/00326

1. पार्वती बाई आयु 70 वर्ष पत्नी श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   1/1. भूपेन्द्र गौतम पुत्र प्रेमशंकर जाति ब्राह्मण निवासी के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. अविनाश गौतम आत्मज ओमप्रकाश गौतम निवासी के0 पाटन जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. नन्दकिशोर आत्मज श्री नारायण जाति ब्राह्मण निवासी चडी निवासी के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकाम :–
   2/1. कुंजबिहारी
   2/2. श्रीनाथ
   2/3. शशि
   2/4. प्रेमशंकर
3. कमलेन्द्र आत्मज नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी चडी तहसील के0 पाटन ।
4. मुकुट बिहारी आत्मज भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी चडी तहसील के0 पाटन ।
5. बद्रीलाल ब्राह्मण निवासी चडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (मृतक)
   5/1. प्रभूलाल आत्मज बद्रीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बिरधी लाल श्रृंगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2/2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.08.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 02 ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रकरण राजस्थान राज्य द्वारा समस्त सीलिंग के प्रावधानों की नजीरों के तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति का अवलोकन कर दिनांक 24.06.2000 एवं तद्उपरान्त दिनांक 03.07.2000 के तहत यह माना गया कि प्रार्थी को सीलिंग प्रकरण में अपना वाजिब हिस्सा नहीं दिया गया । उक्त स्थिति में सत्यापित निर्णयों के बाद आवेदक प्रार्थी वैधानिक रूप से अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । यहॉ यह लिपिबद्ध करना आवश्यक है कि दिनांक 24.06.2000 एवं दिनांक 03.07.2000 के नियमों के विरूद्ध अपील राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई । प्रकरण में शासन उप सचिव द्वारा संयुक्त विधि परामर्शदात्री संयुक्त समिति से राय ली जिन्होंने अपनी राय जिसमें उनके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सीलिंग कार्यवाही समाप्त किया जाना उचित है या पुराने कानून के तहत किया जाना उचित है । उक्त स्थिति के मध्यनजर जो भूमियॉ काश्तकारान को आवंटित की गई हैं उन्हें निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में भूमि की स्थिति सीलिंग अधिग्रहण के समय की थी उसके कायम किया जावे ।

3. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सम्पूर्ण अधिग्रहित भूमि में से वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व्यक्तियों के नाम विलोपित करवाकर प्रार्थी के हक में नियामनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे ।

4. सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार, के0 पाटन ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2000 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2003 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2000 के पूर्व उज्रदारी व आवंटन के अमल दरामद के पश्चात् शेष बचे सिवायचक रकबे को आवेदक नन्दकिशोर एवं उसके पुत्रासें के बजे में जो बतौर अतिक्रमण है, उसके रकबे को अधिग्रहण की तिथि से नियमन किये जाने तक प्रतिवर्ष की पेनेल्टी एवं उस पर देय शास्ति सम्पूर्ण राशि जमा करा नियमन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है । उपखण्ड अधिकारी द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए राज्य सरकार के आदेश के बाद शेष रही सिवायचक भूमि आराजी 8.87 हैक्टर भूमि को प्रार्थी नन्दकिशोर व उसके पुत्र श्रीनाथ को नियमन कर न्यायालय का आदेश दिनांक 16.06.2007 जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन असत्य है कि वैधानिक रूप से अपना हिसस प्राप्त करने का वह अधिकार हो गया है अपितु राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि प्रार्थी भूमि अधिग्रहण के बाद भूमिहीन हो गया है तो उसे अधिग्रहित भूमि में से प्राथमिकता के आधार पर नियमन कर दिया जावे । इसी आधार पर नियमन के आदेश माननीय न्यायालय के स्तर पर जारी हुए हैं । माननीय राज्य सरकार के आदेश में ऐसे निर्देश नहीं हैं, विधि परामर्शी की केवल राय हो सकती है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.05.2008 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नन्दकिशोर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्टर जिसका प्रकरण संख्या 01/07 प्रस्तुत

किया गया था जिसमें अपीलान्ट व अन्य पक्षकार उपस्थित आ रहे थे फिर भी अपीलान्ट व अन्य पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पढने से यह भली–भांति प्रमाणित है कि सीलिंग प्रकरण में निर्णय दिनांक 08.02.1971 को बहाल रखा गया है जिसके आधार पर दिनांक 24.08.1992 को निर्णय परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया है वह निर्णय भी आज तक बहाल है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील वगैरह नहीं की गई है फिर भी परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 02 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में धारा 05 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 की पालना में रेस्पोडेन्ट कम 01 प्रार्थिया के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 287 को सिवायचक करने पर आमादा हैं । उक्त निर्णय की जानकारी अचानक सिवायचक की जाने की बात पर दिनांक 23.05.2009 को पता चली उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश कर दिया और दिनांक 24.04.2009 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । सीलिंग प्रकरण में निर्णय दिनांक 08.02.1971 को बहाल रखा गया है जिसके आधार पर दिनांक 24.08.1992 को निर्णय परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया है वह निर्णय आज भी बहाल है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अपील वगैरह नहीं की गई है फिर भी उक्त निर्णय को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.05.2008 में आधार नहीं बनाकर निर्णय देने में त्रुटि की है क्योंकि 24.08.1992 के निर्णय में भी परीक्षण न्यायालय द्वारा खातेदार के पास 60 बीघा भूमि छोडे जाने के आदेश दिये हैं जिनके खसरा नम्बर 290 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा नये खसरा नम्बर 224, 295 रकबा 43 बीघा 13 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 170 वाके ग्राम चडी की भूमि है । खातेदार भंवर लाल के वारिस मुकुट बिहारी के नाम छोडी जाने का आदेश दिया है और उक्त आदेश अंतिम है । मुकुट बिहारी के नाम उक्त भूमियॉ दिनांक 24.08.1992 को खाते अंकित हो चुकी हैं और उक्त भूमि में से 03 अप्रेल, 1996 को भूमि खसरा नम्बर 224 में से 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट पार्वती बाई को पंजीकृत विकय पत्र से बेचान की गई हैं । पार्वती बाई का बेचाननामे के आधार पर खातेदारी में नाम दर्ज अंकन हो चुका है जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 287 हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपील सम्पूर्ण कार्यवाही में राजस्व सरकार के निर्णय दिनांक 03.07.2000 को आधार बनाया गया है परन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त बनाये गये आधार का भी विवेचन भली–भांति प्रकार से नहीं किया है और निर्णय को भली प्रकार से विवेचन किये बिना निर्णय देने में भारी त्रुटि की है । राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप –8 विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार

भी यह लिखा गया है कि सीलिंग से अधिशेष उक्त भूमि की एवज् में अन्य व्यक्तियों को आवंटन अधिग्रहण करने से पूर्व उक्त हस्तान्तरियों के हक में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के नियम 17 (3) (ए) के अन्तर्गत नियमन किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे । उक्त निर्णय से यह भली–भांति प्रमाणित है कि अन्य व्यक्तियों को आवंटन से पूर्व परन्तु परीक्षण न्यायालय में इस बात पर गौर नहीं किया कि अधिशेष भूमियॉ 03.07.2000 के पूर्व ही आवंटन हो गई थी और इस बात पर विचार किये बिना अपना निर्णय देने में त्रुटि की है । दिनांक 03.07.2000 के निर्णय के पूर्व ही उक्त भूमियॉ अन्य व्यक्तियों को आवंटन हो गई थी जहॉ तक मुकुट बिहारी का प्रश्न है, मुकुट बिहारी के खातेदार की हैसियत से 60 बीघा भूमि छोडी गई थी और 60 बीघा छोडी गई भूमि में से ही अपीलान्ट द्वारा भूमि क्रय की गई थी फिर भी इस निर्णय के द्वारा उक्त भूमियों को सिवायचक करके नन्दकिशोर के हक में दी जाने का निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । सीलिंग के निर्णयों में खातेदार मुकुट बिहारी के हक में 60 बीघा भूमि छोडी गई है उसको जप्त करने का अधिकार न होते हुए भी परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2015 (1) पेज 29 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट क्रम 2 के वारिसान की ओर से जरिये अभिभाष मौखिक बहस के कथनों को रेस्पोडेन्ट की ओर से लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उनके विद्वान् अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 के लगभग 01 वर्ष पश्चात् पेश की है । अपीलान्ट ने उक्त अपील विलम्ब से पेश किये जाने के कोई संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किये हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय धारा 144 सीपीसी में पारित किया गया है उसके अनुसार केवल इस प्रकार के निर्णय को चुनौती सरकार ही दे सकती है । आवंटी को इस प्रकार की कार्यवाही में सुने जाने की आवश्यकता नहीं हैऔर उसे चुनौती देने का अधिकार भी नहीं है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 1993 आरआरडी पेज 118 में उल्लेख किया गया है । धारा 144 व 151 सीपीसी यह इन्ट्रोल्यूट्री ऑर्डर है तथा उक्त आदेश की कोई अपील पोषणीय नहीं है इसकी केवल निगरानी ही की जा सकती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । परीक्षण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि जो आराजियात है उसका दिनांक 24.06.2000 व दिनांक 03.07.2000 के निर्णयों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील नहीं की गई तथा न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट तथ्य आ गये थे कि जो भूमि 380 बीघा 15 बिस्वा थी उनमें 170 बीघा 03 बिस्वा भूमि को अधिग्रहण मानते हुए शेष 210 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिग्रहण की गई । उक्त 170 बीघा 02 बिस्वा भूमि में से भूमिधारी भंवर लाल ने दिनांक 26.03.1959 को ही नन्दलाल, रामचरण को बेचान कर दी तथा सीलिंग भूमि 60 बीघा को छोडते हुए 210 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 150 बीघा 13 बिस्वा भूमि अधिग्रहित की गई जिसमें नन्दकिशोर एवं उसके पॉचों पुत्रों का हिस्सा 190 बीघा साढे सात बीघा स्वीकार किया गया है । अपील मीमो में इसके विरूद्ध तथ्य वर्णित किये गये हैं वे मिथ्या व निराधार हैं । जिस आधार पर मुकुट बिहारी के नाम आराजियात छोडे जाने का उल्लेख किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है । मुकुट बिहारी को उक्त सम्पत्ति को किसी प्रकार से बेचान का अधिकार नहीं था जिन खसरा नम्बरान का वर्णन किया गया है उक्त आराजी मुकुट बिहारी के नाम छोडे जाने के तथ्य प्रकट

नहीं होते हैं । उक्त भूमियॉ कभी मुकुट बिहारी के नाम अंकित हो इस प्रकार की सूचना कभी रेस्पोडेन्ट को नहीं मिली है । निर्णय दिनांक 03.07.2000 के आधार पर जो कार्यवाही धारा 144 सीपीसी की गई है वह विधि सम्मत है उसमें कोई त्रुटि नहीं की है । सम्पूर्ण आराजियात पर वर्तमान में नन्दकिशोर के वारिसान का कब्जा है । विधि अनुसार विवेचना करने के बाद ही परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । धारा 144 व धारा 151 सीपीसी के प्रावधान में आवंटी को सुने जाने का कोई आधार नहीं है । इस सम्बन्ध में आरआरडी 1993 पेज 118 वर्णित किया गया है । पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है कि मुकुट बिहारी के हिस्से में कौनसी भूमि छोडी गई थी और मुकुट बिहारी को बिना विभाजन के सम्पत्ति को बेचने का अधिकार नहीं था क्योंकि अगर कोई हिस्सेदार भी है तो उसे किसी विशिष्ट हिस्से को बेचे जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय नहीं देता है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सीडीआर 2010 (4) (राज0) पेज 2453, आरआरडी 1990 पेज 355 उद्वरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । चूँकि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश में परीक्षण न्यायालय में पक्षकार बनाकर सुना ही नहीं गया, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. न्यायालय हाजा की पत्रावली के साथ संलग्न राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–8) विभाग के पत्र कमांकः एफ 5(14)राज/ग्रुप–7/97 जयपुर दिनांक 03.07.2000 के अनुसार प्रार्थना पत्र नियमन के बिन्दु पर स्वीकार किया जाकर निर्देशित किया गया है कि – "उपर्युक्त हिस्सा/हस्तान्तरित भूमियों की मान्यता नहीं मिलने के कारण सीलिंग से अधिशेष उक्त भूमि की एवज् में अन्य व्यक्तियों को आवंटन/अधिग्रहण करने से पूर्व उपर्युक्त हस्तान्तरतियों के हक में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 17 (3)(प) के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जावे और उपर्युक्त हिस्सा/हस्तान्तरित भूमि के नियमन के पश्चात् अगर सीलिंग से कोई भूमि प्रार्थी के खाते में अधिशेष रहती है तो उस स्थति में उपर्युक्त नियमों के नियम 1973 के नियम 17(2) के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को सामान्य आवंटन की कार्यवाही की जावे ।" पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) सहायक कलक्टर, के0 पाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.1992 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.08.1992 के द्वारा खसरा नम्बर 224 की 13 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 की 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 की 43 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 61 बीघा 05 बिस्वा भूमि मुकुट बिहारी पुत्र भंवर लाल के खाते दर्ज की गई है तथा मुकुट बिहारी के खाते की खसरा नम्बर 224 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 24.10.1996 से अपीलान्ट पार्वती पत्नी मोहन लाल के नाम खाते दर्ज हुई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2007 के द्वारा राजस्थान उपनिवेशन चम्बल परियोजना विक्रय नियम, 1957

के नियम 13 क (3) के तहत खसरा नम्बर 200 की 7.17 हैक्टर व खसरा नम्बर 198 की 1.70 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 8.87 हैक्टर ग्राम चडी की भूमि का नियमन श्रीनाथ पुत्र नन्दकिशोर के हक में किया गया । परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.05.2008 में कथन किया है कि ग्राम चडी के नामान्तरकरण संख्या 184 व 188 से कुल 150 बीघा 18 बिस्वा भूमि सिवायचक दर्ज की गई है जिसमें से 8.87 हैक्टर भूमि राज्यादेश दिनांक 03.07.2000 की पालना में श्रीनाथ पुत्र नन्दकिशोर को नियमन की जा चुकी है । अपीलान्ट को उक्त भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा में से 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि न्यायालय निर्णय दिनांक 24.08.1992 के उपरान्त नामान्तरकरण संख्या 91 से पार्वती बाई के खाते दर्ज हुई है । उक्त न्यायिक निर्णय दिनांक 24.08.1992 तथा नामान्तरकरण संख्या 42 व 91 के तथ्यों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2000 में कहीं अंकित/वर्णित नहीं किया गया है ।

13. सीपीसी की धारा 144 इस प्रकार है– प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन – (1) "जहॉ कि और जहॉ तक डिक्री (या आदेश) में (किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जाए या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरिक किया जाए वहॉ और वहॉ तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था) उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा, जिससे पक्षकार, जहॉ तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री (या आदेश) या (उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरित किया गया है) न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चो के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकल और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होगे, कर सकेगा जो (उस डिक्री या आदेश के ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है) ।"

14. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 01 में अंकित किया है कि उपरोक्त उनवान (सीलिंग प्रकरण संख्या 414/74) की कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष जैरकार है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2008 में उक्त सीलिंग प्रकरण का निस्तारण होना अंकित किया है । प्रकरण संख्या 414/सीलिंग/74 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण का परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 23.12.1974 को निरस्तरण पर पत्रावली दाखिल दफ्तर की गई है । राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–8) विभाग के पत्र कमांकः एफ 5(14)राज/ग्रुप–7/97 जयपुर दिनांक 03.07.2000 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी को दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थना पत्र नियमन के बिन्दु पर स्वीकार किया जाकर निर्देशित किया गया है कि – "उपर्युक्त हिस्सा/हस्तान्तरित भूमियों की मान्यता नहीं मिलने के कारण सीलिंग से अधिशेष उक्त भूमि की एवज् में अन्य व्यक्तियों को आवंटन/अधिग्रहण करने से पूर्व उपर्युक्त हस्तान्तरतियों के हक में राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 के नियम 17 (3)(प) के अन्तर्गत नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जावे और उपर्युक्त हिस्सा/हस्तान्तरित भूमि के नियमन के पश्चात् अगर सीलिंग से कोई भूमि प्रार्थी के खाते में अधिशेष रहती है तो उस स्थति में उपर्युक्त नियमों के नियम 1973 के नियम 17(2) के अन्तर्गत अन्य व्यक्तियों को सामान्य आवंटन की कार्यवाही की जावे ।" प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 पर सरकार

जरिये तहसीलदार के0 पाटन के द्वारा दिनांक 22.08.2007 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें बिन्दु संख्या 03 में अंकित किया है कि "यह स्वीकार नहीं है कि माननीय राज्य सरकार के आदेश में ऐसे निर्देश नहीं है । विधि परामर्शी की केवल राय हो सकती है ।" जहॉ तक व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रत्यास्थापन शब्द के अभिप्राय का प्रश्न है तो यह एक पक्षकार को यथा–स्थापित करने का अर्थ रखता है । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय ने जिस पक्षकार को यथा–स्थापित किया है उसने स्वयं अपने जवाब दिनांक 22.08.2007 में उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त योग्य बताया है । इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2000 में इस प्रकार के कोई स्पष्ट निर्देश प्रदान नहीं किये गये हैं । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरआरडी 1990 पेज 355 चस्पा नहीं होती है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायिक निर्णय दिनांक 24.08.1992 के आधार पर मुकुट बिहारी के नाम उक्त भूमियॉ नामान्तरकरण संख्या 42 दिनांक 29.08.1992 से खाते अंकित हो चुकी हैं और उक्त भूमि में से 03 अप्रेल, 1996 को भूमि खसरा नम्बर 224 में से 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि अपीलान्ट पार्वती बाई को पंजीकृत विक्रय पत्र से बेचान की गई हैं जो नामान्तरकरण संख्या 91 दिनांक 24.10.1996 से पार्वती बाई के नाम बेचाननामे के आधार पर खातेदारी में दर्ज की जा चुकी है, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 287 हैं । अर्थात् अपीलान्ट सीलिंग भूमि में से आवंटी नहीं है, अपीलान्ट एक क्रेता है, जिसका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसे सुना जाना आवश्यक है । पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट होता हो कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (सीलिंग) सहायक कलक्टर के0 पाटन के निर्णय दिनांक 24.08.1992 की कोई अपील की गई हो एवं उक्त निर्णय को निरस्त किया गया हो । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियॉ भिन्न है । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि परीक्षण न्यायालय का आदेश Interlocutory order है अतः इसकी अपील नहीं की जा सकती। प्रस्तुत प्रकरण में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अपील पोषणीय है । उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2008 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि राज्यादेश दिनांक 03.07.2000 को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रकरण में समस्त न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.09.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा